इन्दौर संभाग

2	कु. अलका डामोर	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
3	श्रीमती रेखा डावर	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
4	कु. चम्पा बड़ोले	वाणिज्यिक कर निरीक्षक

उज्जैन संभाग

5	श्री प्रकाश कुमार चौहान	वाणिज्यिक कर निरीक्षक

जबलपुर संभाग

6	कु. नेहा मार्को	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
7	श्री विवेक सिंह मरावी	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
8	श्रीमती बिन्नी धुर्वे	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
9	कु. अनामिका लकरा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
10	श्री समयलाल बैगा	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी

भोपाल संभाग

11	श्रीमती प्रतिभा नरवरिया	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
12	श्रीमती साधना सिंघड़िया	वाणिज्यिक निरीक्षक
13	कु. ऋतु रावत	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
14	कु. अमृता भिलाला	वाणिज्यिक कर निरीक्षक

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेशचन्द्र गुप्ता, उपसचिव.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 नवम्बर 2007

क्र. एफ. 1-12-2007-बाईस-वि-5-स्था.—अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बैकलाग के पदों को पदोन्नति से भरे जाने के लिये सहायक यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा से कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के पद पर पदोन्नति हेतु मध्यप्रदेश ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (राजपत्रित) भर्ती नियम, 1986 की अनुसूची 4 में कालम-2 सरल क्र. 3 में निर्धारित न्यूनतम सेवाकाल "6 वर्ष" की अर्हता को केवल एक बार के लिए शिथिल कर, "5 वर्ष" किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एन. मालपानी, अपर सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2007

क्र. एफ. 3-24-13-2006.—यत: राज्य सरकार की राय है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है कि मध्यप्रदेश में लघु जल विद्युत् परियोजनाओं के विकास एवं अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर आधारित विद्युत् उत्पादन की परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाये.

अतएव, मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, 1981 भाग एक-ऊर्जा विकास उपकर की धारा 4 और मध्यप्रदेश विद्युत् शुल्क अधिनियम, 1949 (क्रमांक 10, सन् 1949) की धारा 3-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित को ऊर्जा विकास उपकर के उद्ग्रहण से छूट देती है:—

(i) अधिसूचना क्रमांक 29-4-99-म-इकतीस, दिनांक 8 अगस्त, 2006 द्वारा जारी प्रोत्साहन नीति के उपबंधों के अधीन स्थापित 25 मेगावॉट की क्षमता तक समस्त लघु जल विद्युत् परियोजना से कैप्टिव उपयोग या तृतीय पक्ष को विक्रय के प्रयोजन हेतु उत्पादित या उपभुक्त विद्युत् ऊर्जा पर, ऊर्जा विकास उपकर के भुगतान से छूट होगी.

(ii) अधिसूचना क्रमांक 6591-एफ-18-10-13-93, दिनांक 17 अक्टूबर, 2006 जो "मध्यप्रदेश राजपत्र" के अंग्रेजी पाठ में प्रकाशित नहीं की गई थी, द्वारा जारी प्रोत्साहन नीति के उपबंधों के अधीन स्थापित अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों (सोलर, वायु एवं बायो-इनर्जी आदि) से कैप्टिव उपयोग या तृतीय पक्ष को विक्रय के प्रयोजन हेतु विद्युत् ऊर्जा उत्पादन होने या उपभोग करने पर, परियोजना के प्रारंभ होने की तारीख से 5 वर्षों की कालावधि के लिये ऊर्जा विकास उपकर से छूट दी जाएगी बशर्ते कि इकाई द्वारा अपनी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) में घोषित विद्युत् उत्पादन का न्यूनतम 70 प्रतिशत (सत्तर प्रतिशत) संयंत्र से विद्युत् उत्पादन किया हो. 70 प्रतिशत से कम विद्युत् उत्पादन की दशा में मध्यप्रदेश शासन/ऊर्जा विकास निगम के समाधान के लिए उन कारणों को, जो उत्पादक के नियंत्रण से परे हों, के साथ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे और ऐसे मामलों में मध्यप्रदेश शासन का समाधान होने पर ऊर्जा विकास उपकर से छूट दी जा सकेगी.

No F- 3-24-13-2006.WHEREAS—The State Government is of the opinion that the development of Small Hydro power projects in Madhya Pradesh and to encourage installation of power projects based on Non-conventional energy sources, it is necessary to expedient so to do in public interest.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 4 of the Madhya Pradesh Upkar Adhinjyam, 1981, Part I-Energy Development Cess and Section 3-B of the Madhya Pradesh Electricity Duty Act, 1949 (No. X of 1949) the State Government hereby give exemption from levy of Energy Development Cess to following:—

(i) The electrical energy produced of consumed for the purpose of captive use or third party sale from all Small Hydro Power projects up to the capacity of 25 MW, established under the provisions of incentive policy issued *vide* Notification No. 29-4-99-M-XXXI, dated 8th August, 2006, shall be exempted from payment of Energy Development Cess.

(ii) The electrical energy produced or consumed for the purpose of captive use or third party sale from Non-conventional energy sources (Solar, Wind & Bio-Energy, etc.) installed under the provisions of incentive policy issued *vide* Notification No. 6591-F-18-10-13-93, dated 17th October, 2006 which was not published in English version in the Madhya Pradesh Gazette shall be exempted from Energy Development Cess for a period of 5 years from the date of commissioning provided that energy generated from the plant is minimum 70% (Seventy percent) of energy generation declared in its detailed porject report (DPR). In case the generation of electricity is less than 70% the reasons which are beyond the control of producer shall besubmitted with necessary documents for satisfcation of GoMP/Urja Vikas Nigam and Government of Madhya Pradesh on satisfaction may exempt from payment of Energy Development Cess in such cases.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय बंदोपाध्याय, सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
"निर्वाचन भवन"
58, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश 462011

भोपाल, दिनांक 15 नवम्बर 2007

आदेश

क्र. एफ.-67-06-03-तीन-1690.—मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश क्रमांक एफ.-67-06-2003-तीन-53, दिनांक 9 जनवरी 2004 द्वारा नगर पंचायत अनूपपुर, जिला अनूपपुर के अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी मोहम्मद मन्सूर मन्सूरी को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 'ग' के अन्तर्गत पांच वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित किया गया था. यह आदेश "मध्यप्रदेश राजपत्र" दिनांक 23 जनवरी 2004 में प्रकाशित हुआ.

मो. मंसूर भाई अभ्यर्थी, नगर पंचायत, अनूपपुर ने एक आवेदन दिनांक 12 सितम्बर 2007 को प्रस्तुत कर, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 05 वर्ष के लिये निरर्हित किये जाने के आदेश को रद्द किये जाने का निवेदन किया है.

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि नगर पंचायत, अनूपपुर, जिला अनूपपुर का चुनाव दिनांक 24 दिसम्बर 2002 को सम्पन्न हुआ था. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अन्तर्गत उन्हें चुनाव परिणाम की घोषणा के 30 दिन की विहित अवधि के भीतर अर्थात् दिनांक 23 जनवरी 2003 तक राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 1997 दिनांक 5 जून 1997 मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित 6 जून 1997 द्वारा निर्धारित प्ररूप में, निर्धारित रीति से जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत कर देना था. लेकिन आवेदक विहित अवधि में व्यय लेखे प्रस्तुत करने में असफल रहा है.

3. दिनांक 1 अक्टूबर 2003 को श्री मो. मंसूर भाई को इस आधार पर निरर्हित करने का निर्णय लिया गया था कि अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा दिनांक 3 मार्च 2003 को प्रस्तुत किया गया तथा दिनांक 24 दिसम्बर 2002 से 25 जनवरी 2003 तक की स्वयं की बीमारी का चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया किन्तु 26 जनवरी 2003 से 2 मार्च 2003 तक की अवधि का समाधानकारक कारण नहीं बता सके. अत: व्यय लेखा विलम्ब से प्रस्तुत किया जाना सिद्ध पाया गया.

4. पुनर्विचार के अभ्यावेदन दिनांक 12 सितम्बर 2007 के अनुक्रम में श्री मो. मंसूर भाई को संबंधित समस्त अभिलेखों सहित